

# Order Sheet [Contd]

Case No 19 / 2016 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
29.12.2016	<p>आवेदक / आरोपी भूपेन्द्र की ओर से श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आपत्तिकर्ता जितेन्द्रसिंह की ओर से श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति पेश की एवं दस्तावेज पेश किए।</p> <p>आवेदक / आरोपी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति का जबाव पेश किया।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड की ओर से अप0क0 256/16 धारा 307, 294, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश।</p> <p>आवेदक / आरोपी की ओर से अधि. श्री हृदेश शुक्ला द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक नव युवक होकर गरम सड़क मुरार ग्वालियर में निवास करता है और अपने परिवार में एक कमाने वाला सदस्य है, यदि उसे अधिक समय तक निरोध में रखा गया तो उसके परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक स्थानीय निवासी है उसके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>आपत्तिकर्ता अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 16.09.2016 को आपत्तिकर्ता के चौधरी पुरा स्थित खेत को आवेदक / आरोपी सहित अन्य लोग जबरन जोत रहे थे जिसे कि आपत्तिकर्ता एवं उसके भाईयों के द्वारा रोका गया तो आवेदक / आरोपी व उसके साथ आए अन्य लोगों ने गोलियों चलाई जो आपत्तिकर्ता के भाई नाथूसिंह को लगी है। प्रकरण में सहआरोपी फरार अभी फरार है जो कि राजीनामा का राजनैतिक दबाव बना रहे है एवं फरियादी के साथ कभी भी घटना कर सकते है। यदि आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया तो निश्चित ही साक्ष्य को प्रभावित करेंगे। अतः आपत्ति स्वीकार कर जमानत आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया है। फरियादी जितेन्द्रसिंह की</p>	

रिपोर्ट के आधार पर कि दिनांक 16.09.2016 को शाम के 5 बजे उसके परिवार के अतेन्द्रसिंह बगैरह उसके खेत को जबरन जोत रहे थे तो उनको रोकने के लिए उसका भाई नाथूसिंह, ताऊ का लडका बकील सिंह गए तो वहाँ पर वर्तमान आवेदक भूपेन्द्रसिंह सहित अन्य सहआरोपी अतेन्द्रसिंह, ललासिंह गुर्जर, राजेन्द्रसिंह अश्लील गाली गलोज करने लगे और भूपेन्द्र ने कहा कि आज घर लो सालों को, तभी सहआरोपी अतेन्द्रसिंह ने अपनी लाइसेंसी रायफल से जान से मारने की नियत से गोली चलाइ जो कि नाथूसिंह के सिर में लगी वह गिर पडा, अन्य सहआरोपी राजेन्द्रसिंह ने भी अपनी रायफल से गोली चलाई। सभी आरोपीगण गाली गलोज करते हुए बोले कि आईदा खेत की तरफ दिखे तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 307, 294, 506बी, 34 भा.द.वि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया।

आवेदक/आरोपी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि वर्तमान आवेदक भूपेन्द्रसिंह के द्वारा कोई कृत्य नहीं किया गया है, उसे झूठा फंसाया गया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् दर्ज कराई गई है, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख आया है कि वर्तमान आवेदक भूपेन्द्रसिंह के द्वारा जो कि अन्य सहआरोपीगण के साथ खेत जोतने के लिए गया था के द्वारा यह कहा गया कि आज घर लो सालों को और इसके उपरांत ही सहआरोपी अतेन्द्रसिंह के द्वारा गोली चलाई गई है जो कि आहत नाथूसिंह को लगी है। नाथूसिंह की चिकित्सीय परीक्षण में भी उसे गनशॉट इंजुरी की चोट होने का उल्लेख आया है। प्रकरण अभी विवेचना के अधीन है और सहआरोपीगण की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।

विचारोपरांत वर्तमान आवेदक भूपेन्द्रसिंह पर लगाए गए आक्षेप एवं घटना के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रकरण में विवेचना अभी चालू है, वर्तमान आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। अतः आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार किये जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी0सी0थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)